4061
16-05-16

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

विषय :--भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षो की बकाया छात्रवृति की राशि के भुगतान तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत् आगामी वर्षों में नवीकृत छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. यह योजना राज्य के अंदर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से संचालित है।

3. इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000/–रू0 (दो लाख पचास हजार रू0) तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य सरकार के सात निश्चय के अनुपालन में **"स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड"** (Student Credit Card) के तहत छात्रों को लाभान्वित किया जाना है।

4. राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था और राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में राज्य के अधिकतम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को लाभ पहुँचाने के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों की छात्रवृत्ति दर की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

5. अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

(I) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं विगत वर्षो में राज्य के अन्दर सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यताप्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य की जाएगी।

(II) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष–2015–16 में एवं इसके पूर्व के वर्षो में राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा ₹ 15,000/– के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

क्र0	कोर्स की विवरणी	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क + अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडियट कक्षा यथा–आई0ए0/ आई0एस0सी0/आई0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 2000/–
2	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा–बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 5000/–
3	स्नातकोत्तर कक्षा यथा–एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम/एम0फिल0 /पी0एच0डी0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 5000/–
4	आई0टी0आई0	₹ 5000/–
5	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्नीक एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 10000/–
6	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा–इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर)।	₹ 15000/–

(III) केन्द्रीय सरकारी शिक्षण संस्थानों (यथा–आई0आई0टी0 तथा एन0आई0टी0 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम क्रमशः ₹ 90,000/– तथा ₹ 70,000/– की दर) एवं अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों यथा–नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0आई0पी0एम0ई0आर0, ए0आई0आई0एम0एस0 आदि में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम ₹ 75,000/– की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतेय होगा।

(IV) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की तुलना में सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।

(V) अनुमान्य छात्रवृत्ति राशि के अतिरिक्त समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण भत्ता भी देय होगा।

6. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16.5.16

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(छात्र0)–23–151/16– 4061 पटना, दिनांक– 16/05/16

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को संकल्प की दो हार्ड प्रतियों एवं सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 1500 (एक हजार पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

16.5.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(छात्र0)–23–151/16– 4061 पटना, दिनांक–16/05/16

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

16.5.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(छात्र0)–23–151/16– 4061 पटना, दिनांक– 16/05/16

प्रतिलिपि – सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

16.5.16

सरकार के सचिव।